यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 04 /2021 तारीखरजू:– 7-1-21

उनवान:– रामगिलासी बनाम सरकार वगै0

दावा वावत इन्द्राज दुरूस्ती

दिनांक	फर्द अहकाम	
7/1/21	वादीया की और से श्री राजकुमार सिंह एडवोकेट ने दावा बावत घोषणा इन्द्राज दरूस्ती के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 28.01.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	78-79 / 7-1-21
8.1.21	वादी वकील उपस्थित, प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया शामिल पत्रावली किया गया। जबाव मे अंकित किया था कि विक्रय पत्र दिनांक 12-11-2007 का नामांतकरण न0 252 दिनांक 3-1-2008 क्रेता का नाम दर्ज करते समय रामगिलासी धर्म पत्नि गिर्राज प्रसाद दर्ज हो गया जबकि मुताबिक विक्रय पत्र रामगिलासी पुत्री गिर्राज प्रसाद दर्ज होना चाहिए था। जबाब के साथ विक्रय पत्र की छायाप्रति सलग्न की थी वादी वकील ने पैरोकार सरकार के जबाव का अवलोकन कर वादीया का दावा डिक्री किए जाने का कथन किया। पैरोकार सरकार ने भी जबाव मे वर्णित तथ्यो के अनुसार दावा डिक्री करने का कथन किया। वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 12-11-2007 चूडमल गुप्ता पुत्र मदनलाल महाजन निवासी मान्डी से रामखिलाडी पुत्री गिर्राज प्रसाद जाति मीना नि0 मेरेडा ने ग्राम गढरौली की (हस्ताक्षर) (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली	

कार्यालय उप जिला कलक्टर ... (करौली)

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
	आराजी ख० न० 380/38 रकबा 0.40 है० मे से भूमि रूपान्तरण हुई भूमि 550 वर्ग गज/460.03 वर्ग मीटर क्रय की है। नामांतकरण स० 252 दिनांक 3-1-2008 दर्ज करते समय वादीया/क्रेती रामगिलासी धर्मपत्नि गिरीज दर्ज कर दिया। हाल जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के खाता स० 414 के ख० न० 380/38 रकबा 0.4000 में वादीया रामगिलासी पत्नि गिरीज हि० 23/200 जाति मीना सा. मेरेडा दर्ज हो रहा है। मुताबिक विक्रय पत्र एवं पेरोकार सरकार की अनुशंषा के आधार पर रामगिलासी पत्नि गिरीज प्रसाद के स्थान पर रामगिलासी पुत्री गिरीज प्रसाद किया जाना उचित पाता हूँ।
	अतः ग्राम गढोली की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 के खाता स० 414 मे ख० न० 380/38 रकबा 0.4000 मे वादीया रामगिलासी पत्नि गिरीज प्रसाद के स्थान पर रामगिलासी पुत्री गिरीज प्रसाद जाति मीना नि० मेरेडा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।
	निर्णय आज दिनांक 28.1.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामगिलासी पुत्री गिर्राज प्रसाद जाति मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम।

वादीया

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. जिला कलक्टर करौली।

प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

मु0न0 04/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः ग्राम गहरौली की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 414 के ख0न0 380/38 रकवा 0.4000 है0 मे रामगिलासी पत्नि गिर्राज प्रसाद के स्थान पर रामगिलासी पुत्री गिर्राज प्रसाद जाति मीना दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। तहसीलदार टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे उक्तानुसार अंकन करे।

निज......................मुबलिंग............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.01.2021 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला		पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					